रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 1990/ज्येष्ठ 15, 1912

No. 304] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 1990/JYAISTHA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 1990

का.आ. 447(अ):— भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/7/89 सी.शु. 8 तारीख 13-2-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री के.एस. साबजान उर्फ सुन्नू उर्फ सुन्नू साहिब, सुपुत्र अब्दुल रजाक, चेरूअरण, कासरागड को स्वापक औषधियों का क्रय करने, विक्रय करने, लाने ले जाने और छिपाने, दुष्प्रेरण करने से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक त्रिवेन्द्रम (केरल) या पुलिस महानिदेशक, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/89 सी.शु. 8]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th June, 1990

ORDER

S.O. 447(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of the Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|7|89-Cus. VIII dated 13-2-1989 under the said sub-section directing that Shri K. S. Saabjaan @ Sunnu @

Sunnu Sahib, son of Abdul Razak, Theruvath, Kasaragod with a view to preventing him from abetting in the purchase, sale, transportation and concealment of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Trivandrum (Kerala) or Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|7|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 448 (अ) : —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/19/89 सी.शु. 8 तारीख 2-6-1989 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मोहम्मद शफी, 27-सी, उषा सदन, कोलाबा डाकघर के नजदीक, कोलाबा, बम्बई-5 को केन्द्रीय कारागार बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों का क्रय करने, विक्रय करने, लाने ले जाने में लिप्त रहने और भारत से निर्यात किए जाने का दुष्प्रेरण करने से रोका जा सके ;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.स. 773/19/89-सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 448(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|19|89-Cus. VIII dated 2-6-1989 under the said sub-section directing that Shri Mohd. Shafi 27-C Usha Sadan, Near Colaba Post Office, Colaba, Bombay-5 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in purchase, sale, transportation and abetting in export from India of Narocotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|19|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 449 (अ) : —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.स. 773/24/89 सी.शु. 8 तारीख 17-5-1989 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री वी शांताकृष्णन मार्फत सन्थानम, सुपुत्र वेदारान्यम पिल्लै, नं. 5/1-सी, गणेश नगर, सिमको मीटर रोड, तिरुचिरापल्ली को केन्द्रीय कारागार, तिरुची में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि के लेन देन से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस अधीक्षक, सी आई डी, अपराध शाखा, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.स. 773/24/89-सी.शु.]

ORDER

S.O. 449(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|24|89-Cus. VIII dated 17-5-1989 under the said sub-section directing that Shri V. Santhanakrishan @ Santhanam, S|o Vedaranyam Pillai, No. 5|1-C, Ganesh Nagar, Simco Meter Road, Tiruchirappalli be detained and kept in custody in the Central Prison, Tiruchy with a view to preventing him from dealing in Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Superintendent of Police, C.I.D., Crime Branch, Madras within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|24|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 450(अ) : —भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.स. 773/25/89 सी.शु. 8 तारीख 18-5-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था

कि श्री मोहम्मद इरफान, सुपुत्र मोहम्मद इमरान, कमरा नं. 16, पारसी गली, बेंडी बाजार, बंबई-3 को केन्द्रीय कारागार बंबई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने, ले जाने, कब्जे में रखने और आयात करने से रोका जा सके,

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/25/89—सी.शु.-7]

ORDER

S.O. 450(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|25|89-Cus. VIII dated 18-5-1989 under the said sub-section directing that Shri Mohammed Irfan, S|o Mohammed Imran, Room No. 16. Parsi Galli, Bendi Bazaar, Bombay-3 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in transportation, possession and import inter-state of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Diretor General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|25|89-VIII]

आदेश

का.आ. 451 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/28/89 सी.शु. 8 तारीख 18-5-1989 यह निर्देश देते हुए जारी किया गया था कि श्री जी. नन्द कुमार, सुपुत्र गोपाल, 258 पेरिया वेलुकुलम, 9वीं स्ट्रीट, वावुनिया, श्रीलंका, केन्द्रीय कारागार मद्रास की मार्फत से कारागार मद्रास की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों के परिवहन, कब्जे में रखने और अंतर्राज्यीय आयात में लिप्त रहने से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., अपराध शाखा, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/28/89—सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 451(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|28|87-Cus. VIII dated 18-5-1989 under the said sub-section directing that Shri G. Nandakumar. S|o Gopal, 258 Periya Valakulam, 9th Street, Vavuniya, Sri Lanka C|o Superintendent, Central Prison Madras be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from engaging in the transportation, possession and import inter-State of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Superintendent of Police, C.I.D., Crime Branch, Madras within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|28|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 452 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/32/89 सी.शु.-8 तारीख 18-5-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री वलीमामद सिदिक बाबा, गांव कुरी, वाया खावदा, जिला-कच्छ (गुजरात) को केन्द्रीय कारागार, अहमदाबाद में रखा जाए ताकि उसे भारत में स्वापक औषधियों के भारत में आयात करने में लिप्त रहने और परिवहन करने से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिरीक्षक, अपराध और रेलवे के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/32/89—सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 452(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order No. 773|32|89-Cus. VIII dated 18-5-1989 under the said sub-section directing that Shri Valimamad Sadaq Wadha, village-kuran, via-Khavda, District Kutchh (Gujarat) be detained and kept in custody in the Central Prison, Ahmedabad with a view to preventing him from engaging in the import of Narcotic Drugs into India and transportation of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Crime and Railway, Ahmedabad within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|32|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 453 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/34/89 सी.शु. 8 तारीख 18-5-1989 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री जुनस तैयब समा, गांव—ध्रोबना, वाया—खवडा, जिला-कच्छ (गुजरात), को केन्द्रीय कारागार, अहमदाबाद में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को भारत में आयात करने और परिवहन करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस निरीक्षक, अपराध एवं रेलवे के समक्ष हाजिर हो।

[फा.स. 773/34/89—सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 453(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|34|89-Cus. VIII dated 18-5-1989 under the said sub-section directing that Shri Junus Taiyab Sama, Village-Dhrobana, Via-Khavda, District-Kutchh (Gujarat) be detained and kept in custody in the Central Prison, Ahmedabad with a view to preventing him from engaging in import into India and transportation of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police Crime and Railways, Ahmedabad within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|34|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 454 (अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/46/89 सी.शु.-8 तारीख 18-5-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री वी. बाबुराज, सुपुत्र वेल्लाई नादर, चाम्बुर वेस्ट, अमीर बाग, बंबई पश्चिमी-79, को केन्द्रीय कारागार बंबई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन, कब्जे में रखने, विक्रय करने और आयात करने से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बंबई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/46/89—सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 454(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|46|89-Cus. VIII dated 18-5-1989 under the said sub-section directing that Shri V. Baburai, S|o Vellai Nadar, Chambur West, Ameer Bagh, Bombay West-79 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in the transportation, possession, sale and import inter-State of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|46|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 455 (अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/64/89 सी.शु.-8 दिनांक 26-7-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि मोहम्मद आज़ाद उर्फ आविद परवीज, सुपुत्र अब्दुल रूफ, 701, किल्लापुकरी, बालासोर, उड़ीसा और 5, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता को प्रेसीडेन्सी जेल, कलकत्ता की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों के बनाने, कब्जे में रखने, विक्रय करने, क्रय करने, परिवहन, भंडागारण, अंतर्राज्यीय आयात और निर्यात करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/64/89—सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 455(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|64|89-Cus. VIII dated 26-7-1989 under the said sub-setion directing that Shri Md. Azad @ Avid Perwiz, S|o Shri Abdul Rouf, 701, Killapukri, Ballasore, Orissa and also of 5, Dharmatala Street, Calcutta be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from engaging in manufacture, possession, sale, purchase, transportation warehousing, import and export inter-State of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Calcutta within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|64|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 456 (अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/71/89—सी.शु.-8 दिनांक 5-10-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मुरली शाह, सुपुत्र श्री जग्गू शाह तेली, निवासी गांव अखोडी, पु.स्टे./पो.आ. रामगढ़, जिला रोहतास, बिहार को डिस्ट्रिक्ट जेल, कोटा (राज.) में अभिरक्षा में रखा जाए, ताकि उसे स्वापक औषधियों का क्रय करने, कब्जे में रखने और परिवहन से रोका जा सके;

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, जयपुर (राजस्थान) या महानिदेशक पुलिस, बिहार (पटना) के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/71/89—सी.शु.-8]

ORDER

S.O. 456(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|71|89-Cus. VIII dated 5-10-89 under the said sub-section directing that Shri Murali Shah, S|o Shri Jaggu Shah Teli, R|o village Akhodi, P. S.|P.O. Ramgarh, District Rohtash, Bihar be detained and kept in custody in the District Jail, Kota (Rajasthan) with a view to preventing him from engaging in purchase, possession and transportation of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Jaipur, Rajasthan or Director General of Police, Bihar (Patna) within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|71|89-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 457 (अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/81/89—सी.शु.-8 दिनांक 14-12-89 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री राम सिंह, गांव साधाखेड़ा, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.) को उप-जेल मंदसौर (म.प्र.) की अभिरक्षा में रखा जाए, ताकि उसे स्वापक औषधियों को कब्जे में रखने और विक्रय करने से रोका जा सके,

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/81/89—सी.शु.-8]
ए० के० राय, अवर सचिव

ORDER

S.O. 457(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|81|89-Cus. VIII dated 14-12-1989 under the said sub-section directing that Shri Ram Singh, Village Sathakheda, Tehsil Satamow, District Mandsaur, Mandsuar (M.P.) be detained and kept in custody in the sub-jail, Mandsaur (M.P.) with a view to preventing him from engaging in possession and sale of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bihar, Patna within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|81|89-Cus. VIII]
A. K. ROY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990